



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 5792 वर्ष 2026

श्रीमती उषा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ और 4 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार पांडे, अजय कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रत्यर्थी संख्या 5 को नोटिस जारी किया जाना एतद्वारा समाप्त किया जाता है, क्योंकि प्रकरण प्रवेश के प्रक्रम पर ही निस्तारित किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-
 - "(i) एक रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी करते हुए विपक्षी संख्या 3 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2025 जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, को रद्द किया जाए।
 - (ii) एक रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी करते हुए विपक्षी संख्या 3 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 03.02.2026, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है, को रद्द किया जाए।
 - (iii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2025 अनुलग्नक संख्या 1, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, को प्रभावी न करने का निर्देश दिया जाए।
 - (iv) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करते हुए विपक्षीगण को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को 22.03.2016 के स्थान पर 20.07.2008 से चयन वेतनमान प्रदान करें और याचिकाकर्ता के वेतन का तदनुसार पुनर्निर्धारण करें तथा अंतर राशि के बकाए का भुगतान करें।"
4. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 20.07.2020 को दिया गया प्रोन्नति वेतनमान वापस ले लिया गया है और अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का भी निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तदर्थ प्रवक्ता श्री राम चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के कारण वर्ष 1996 में सहायक अध्यापक (हिंदी) का एक पद रिक्त हुआ था। उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1996 में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा सहायक अध्यापक (हिंदी) के पद को भरने हेतु सेवा चयन बोर्ड को एक अध्याचन भेजा गया था, और तत्पश्चात् 1998 में एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता का चयन हुआ और उन्हें दिनांक 16.07.1998 को नियुक्त किया गया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण कर दिया गया था और नियमितीकरण के पश्चात् याचिकाकर्ता ग्रेड पे 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा आदेश दिनांक 22 मार्च 2016 के द्वारा उन्हें रु. 66,000/- का चयन वेतनमान प्रदान किया गया था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 29.09.2020 से प्रोन्नति वेतनमान रु. 15600-39100/5400 भी प्रदान किया गया था, परन्तु अचानक एक लेखा परीक्षा आख्या का संज्ञान लेते हुए, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रोन्नति वेतनमान वापस ले लिया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मात्र लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर याचिकाकर्ता को दिया गया प्रोन्नति वेतनमान वापस लिया गया है, जो विधि के अंतर्गत अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई में शामिल नहीं किया गया और इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि न केवल प्रोन्नति वेतनमान वापस लिया गया है, अपितु आदेश दिनांक 29.09.2020 के पश्चात् याचिकाकर्ता को किए गए कथित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिक भुगतान की वसूली का भी निर्देश दिया गया है। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक 19.12.2025 और 03.02.2026 अवैध और अस्थिर हैं।

7. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने लेखा परीक्षा आख्या पर उचित प्रकार से विचार किया है और एक बार यह पाए जाने पर कि प्रोन्नति वेतनमान देते समय कुछ अनियमितताएं हुई थीं, उसे वापस ले लिया गया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रोन्नति वेतनमान वर्ष 2020 में दिया गया था और एक लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा प्रोन्नति वेतनमान का आदेश वापस ले लिया गया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

9. यह न्यायालय पाता है कि प्रोन्नति वेतनमान सात वर्ष पूर्व दिया गया था, और यह याचिकाकर्ता के अधिकारों को मौलिक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया है कि मात्र लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो **दिलीप सिंह राणा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1993 एससीसी ऑनलाइन ऑल 455** के प्रकरण में स्थापित विधि के अनुसार अस्वीकार्य है। निर्णय के प्रस्तर 5 और 6 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"5. लेखा परीक्षा आख्या को खातों में संदर्भित लेनदेन की प्रामाणिकता या सद्भावी प्रकृति के तात्त्विक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा, खातों की एक आधिकारिक जांच है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खातों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को निर्धारित तरीके से ठीक से बनाए रखा गया है। लेखा परीक्षा आख्या खातों के रखरखाव से संबंधित तथ्यों का एक कथन है, जिसके साथ उन तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षक की राय जुड़ी होती है। "ए कंक्रीट डिक्शनरी ऑफ लॉ" (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) में कहा गया है कि एक लेखा परीक्षक की आख्या में यह उल्लेख होना चाहिए कि लेखा परीक्षक की राय में खाते ठीक से तैयार किए गए हैं या नहीं और कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं या नहीं। यदि लेखा परीक्षा से पता चलता है कि खातों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है, तो यह संदेह या विश्वास उत्पन्न कर सकता है कि खातों से संबंधित मामलों में कोई गड़बड़ी की गई है। परन्तु उस गड़बड़ी को लेखा परीक्षा आख्या में निहित लेखा परीक्षकों की राय से सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

6. इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह संगत और ग्राह्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। 'वर्ड्स एंड फ्रेज' खंड IV-ए, पृष्ठ 577 में कहा गया है कि "ऑडिट" का अर्थ खातों, वाउचरों और अन्य अभिलेखों की औपचारिक जांच और सत्यापन तथा ऐसी जांच का परिणाम है। एक लेखा परीक्षक का कर्तव्य सत्यापन करना है न कि पता लगाना (देखें: इन री: किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी (नंबर 2), (1896) 2 सीएच 279)। हल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ इंग्लैंड में कंपनी के खातों का ऑडिट करने के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक के कर्तव्य और कार्य का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:-

"यह एक लेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह न केवल बैलेंस-शीट की गणितीय शुद्धता का, अपितु उसकी तात्विक शुद्धता का भी सत्यापन करे और यह देखे कि इसमें अंतर्नियमों और अधिनियम द्वारा अपेक्षित विवरण शामिल हैं और यह कंपनी के मामलों की स्थिति का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यद्यपि यह विचार करना उसका कर्तव्य नहीं है कि व्यवसाय बुद्धिमानी से चलाया जाता है या नहीं, वह अंशधारकों को यह विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है कि बैलेंस-शीट कंपनी की सही वित्तीय स्थिति दर्शाती है या नहीं। यह देखने के लिए उसे पुस्तकों की जांच करनी चाहिए और यह देखने के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए कि उनकी सामग्री काफी सीमा तक सटीक है या नहीं।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. इस प्रकार, यह स्थापित विधि है कि केवल लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा उसकी पुष्टि न की जाए, कोई प्रतिकूल कार्यवाही नहीं की जा सकती।
11. पूर्वोक्त कारणों और तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।
12. संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य हितधारकों, यदि कोई हों, को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर एक नया निर्णय लें।
13. याचिकाकर्ता को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही में सहयोग करने का भी निर्देश दिया जाता है।
14. उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर प्रस्तुत **याचिका स्वीकार की जाती है।**

जून 5, 2026

एम.वी.एस./-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।